न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 67/2022(GCMS 2022/)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हनुमानगढ, पता 191 कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ जंक्शन राजस्थान, जरिये अधिकृत प्रतिनिधि

बनाम

1. **जसवीर सिंह** पुत्र हरभजन सिंह जाति जट सिख निवासी 9 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी**, तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद कुमार भाटी उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि केन्द्र सरकार ने लोकहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–911 के निर्माण के लिये भूमि अवाप्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर की नियुक्ति उपरान्त ग्राम 9 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित मुरब्बा नं. 35 के बीघा नं. 1, 10, 11, 20 व 21 में से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई, जिसके बाद धारा 3डी के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अवाप्त भूमि आत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. में निहित हो गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7)(ए) के अनुसार अवाप्तधीन भूमि व उस पर अवस्थित संरचनाओं/परिसंपत्तियों यथा पेड़ पौधों आदि का मुआवजे का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना की तारीख को प्रचलित मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, अर्थात धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात नियम विरुद्ध जाकर अनैतिक उद्धेश्य की पूर्ति हेतु अवाप्त भूमि पर कोई संरचना/

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

परिसंपत्ति यथा पेड़ पौधों आदि स्थापित किये जाते है, तो उनके मुआवजे का नियमानुसार निर्धारण नही किया जाता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा (इ) में दी गई भूमि की परिभाषा के अनुसार भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजे अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजे आती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि MoRTH, भारत सरकार द्वारा **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग** अधिनियम 1956 की अनुपालना में जारी A Manual of Guidelines on Land Acquisition for National Highways under The National Highways Act, 1956 में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवाप्त भूमि एवं उक्त भूमि पर अवस्थित किसी पेड, सरंचना / परिसंपत्ति इत्यादि का मुआवजा निर्धारण अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना तारीख की स्थिति के अनुसार किया जायेगा तथा धारा की अधिसूचना के बाद अवाप्त भूमि पर कोई निर्माण या परिवर्तन होने पर मुआवजा देय नही होगा। नये भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार भी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्त भूमि पर किसी प्रकार का विल्लंगम सर्जित नही किया जा सकता। इसलिये धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित नये पेड़–पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) ने धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को भूमि की प्रचलित दर के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 31.03.2021 को पारित कर दिया गया, इसलिये अवाप्त भूमि के मुआवजे के अलावा भी पेड़–पौधो के मुआवजे का निर्धारण भी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति अनुसार मौजूद पेड़–पौधों की आयु, प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता, स्थिति आदि मानकों से संबंधित ठोस साक्ष्य लेकर उनको ध्यान में रखते हुए किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Bal
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायोचित व विधि अनुसार था, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त के संबंध में कुछ भी नही किया गया, इसलिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा पेड़–पौधों का पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 विधि अनुसार नही होने से अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि किन्नू के पेड़–पौधों के संबंध में पारित आलोच्य अवार्ड दिनांक 22.04.2022 इसलिये भी निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की नीयत से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अवाप्तधीन भूमि पर बाहर से लाकर नये पेड़–पौधे रोपित कर दिये गये। सहायक निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अप्रार्थी खातेदार की अवाप्त भूमि पर लगे हुए पेड–पौधों के अलावा भी ऐसे पेड़–पौधों को मूल्यांकन रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया गया, जो धारा 3ए अधिसूचना के पश्चात् लगाये गये थे तथा अवाप्ति क्षेत्र से बाहर स्थित थे, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र आदि के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अपने पत्रांक 54 दिनांक 07.02.2023 से तहसीलदार भू–अभिलेख श्रीगंगानगर से प्रश्नगत पौधे के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा अपने पत्रांक 740 दिनांक 09.02.2023 से सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसकी क्रम संख्या 3 के विशेष विवरण में गिरदावरी में बाग का अंकन नही होना स्पष्ट अंकित है, जिससे स्पष्ट है कि धारा 3ए की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात अवाप्त भूमि पर नये पौधे रोपित किये गये [illegible] सक्षम प्राधिकरी ने धारा 3ए की अधिसूचना की तत्समय की मौका [illegible] किये ही गम्भीर त्रुटि कर आलोच्य अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि संशोधित / निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नही कर, मौका निरीक्षण की दिनांक 18.06.2021 की मौकास्थिति अनुसार समस्त पौधों में से 605 किन्नू पौधो की आयु 4 वर्ष व 10 पौधे 3 वर्ष मानी जाकर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जबकि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के अनुसार किन्नू के 605 पौधों की आयु लगभग 1 वर्ष से कम एवं 10 पौधे मौके पर नहीं होना साबित होते है। ऐसी दशा में अप्रार्थी खातेदार के 605 किन्नू के पौधों की आयु 1 वर्ष से कम होने के कारण आधार मूल्य के अन्तर्गत ही आते है, जिनका भी अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी खातेदार द्वारा परियोजना हेतु निर्धारित 45 मीटर के संरेखण (Alignment) में धारा 3ए के तहत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अनुचित एवं अवैध तरीके से, अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में नये अधिक किन्नू के पौधे/वृक्ष पास–पास में रोपित किये गये है, जिनकी पुष्टि श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा भूमि अवाप्ति प्लान के अनुसार अवाप्त भूमि की गूगल अर्थ इमेज, संबंधित विभाग से खसरा गिरदावरी व पेड़–पौधों की आयु व संख्या से संबंधित तैयार प्रपत्र, सिंचाई विभाग आदि से प्रश्नगत पौधों के संबंध में समुचित साक्ष्य प्राप्त कर की जा सकती है। इस प्रकार अप्रार्थी खातेदार धारा 3ए की अधिसूचना पश्चात् रोपित पौधों का कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी ने बिना किसी जाँच किये धारा 3ए अधिसूचना के समय की मौकास्थिति के विपरीत तैयार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध मुआवजा राशि की गणना कर दिनांक 22.04.2022 को आलोच्य [illegible] रित करने में गंभीर त्रुटि की है, जिसे सुधारा जाकर संशोधित [illegible] किया जाना न्यायोचित है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी खातेदार प्रश्नगत पेड़–पौधों को जवाब में अनुदानित होना बताया है, लेकिन इस संबंध में कोई समुचित साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही प्रार्थी को उपलब्ध करवाया है, ऐसी दशा में आधारहीन निरर्थक कथनों का जवाबदाता को कोई लाभ प्राप्त नही होता है। फिर भी श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा प्रश्नगत पेड़–पौधें अनुदानित होने या नहीं होने के संबंध में संबंधित विभाग से अनुदानित पत्रावली तलब करते है, तो यह जांच किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि अप्रार्थी खातेदार को कौनसे मुरब्बा/किला के कितने रकबे की भूमि हेतु अनुदान कब मिला था व अनुमोदन मिलने के उपरान्त प्रश्नगत पेड़–पौधें अवाप्तधीन भूमि पर कब रोपित किये गये थे, और क्या उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार उचित विन्यास/दूरी पर प्रश्नगत पेड़–पौधे रोपित किये हुए है, आदि–आदि की जाँच गूगल इमेज, खसरा गिरदावरी, पटवारी द्वारा पौधों की आयु व संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि से करने पर जाहिर हो जायेगा कि अप्रार्थी खातेदार ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् अवाप्त भूमि पर प्रश्नगत पौधे अधिक मात्रा में पास–पास में रोपित किये है, जो भूमि अवाप्ति प्रक्रिया व उद्यान विभाग के मापदण्डो के सरासर विरुद्ध भी है, जिनका अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड श्रीगंगानगर का पत्र क्रमांकः–एफ/2022–23/387 दिनांक 04.05.2022 में ऐसे पौधे जो उद्यान विभाग के मापदण्डानुसार रो[illegible]ीं किये गये, उन पौधों का केवल आधार मूल्य ही मुआवजा [illegible] जाना उचित माना है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा अनुदान प[illegible]ली/गिरदावरी/पटवारी द्वारा पौधों की आयु व संख्या के संबंध में तैयार प्रपत्र आदि की जाँचोपरान्त प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पौधे धारा 3ए से पूर्व रोपित होकर उद्यान विभाग के मापदण्डों के अनुसार नही पाये जाते है, तो उन पौधों का अप्रार्थी खातेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः उपयुक्त जाँच के बिना पारित आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि सहायक निदेशक उद्यान, हनुमानगढ़ ने वर्ष 2022 में किन्नू के पौधों की कुल आयु 20 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, सहायक निदेशक, उद्यान– श्रीगंगानगर द्वारा भा.रा.रा.प्रा. की अन्यत्र परियोजना हेतु तहसील क्षेत्र सूरतगढ़ में किन्नू के पौधों की मूल्यांकन रिपोर्ट में पौधों की शेष आयु को आधार न माना जाकर उक्त पौधे के स्थान पर नया पौधारोपण किये जाने पर उसकी उपज को होने वाले नुकसान के आधार पर 06 वर्ष के किन्नू के 01 पौधे की मूल्यांकित राशि 14220 /– निर्धारित कर अपने पत्रांक 362 दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी, सूरतगढ़ को भिजवायी गयी थी, लेकिन सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर ने प्रश्नगत किन्नू के पौधों की कुल आयु 30 वर्ष मानकर मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले व सूरतगढ़ की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, कृषि पैदावार/उत्पादन एक समान है। अतः किन्नू के पौधों की मुआवजा राशि को घटाते हुए आलोच्य अवार्ड संशोधित/निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि मुआवजा राशि का निर्धारण में पौधों की उम्र व भाव तय करने में कोई स्पष्टता/पारदर्शिता नहीं है। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अपने मन मुताबिक पेड़–पौधों का बाजार भाव व उम्र नियम विरुद्ध तय किया है। इसलिये श्रीमान मध्यस्थ महोदय ... पेड़ पौधों के संबंध में सक्षम स्तर से आवश्यक जाँच करवाकर बाजार भाव ... करने के संबंध में समुचित साक्ष्य लिया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि बाग में लगे सभी पौधे समान उत्पादन नही देते है। प्रत्येक पौधे की उत्पादन क्षमता की जांच कर ही मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। अवाप्ति में आने वाले पौधों का भविष्य में किसी प्रकार का उत्पादन, खर्च/लागत होने की कोई संभावना ही नही होती है, इसलिये अवाप्त पौधे का भविष्य के आधार पर कोई मुआवजा ही निर्धारित नही किया जाना चाहिए। अतः आलोच्य अवार्ड निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि राजस्थान राज्य में फलदार पौधो की शेष आयु को आधार बनाकर लगभग 10 गुना अधिक राशि से मूल्यांकन किया जाता है, जो कि हस्तगत प्रकरण में भी कर दिया गया है। जबकि सीमावर्ती राज्यों में फलदार पौधों की शेष आयु एवं उक्त शेष आयु में होने वाली संभावित आय का एक चौथाई को ही बचत का आधार मानते हुये मूल्यांकन किया जाता है अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रकरण में श्रीमान मध्यस्थ महोदय द्वारा समुचित साक्ष्य ली जाकर मुआवजे का पुनरावलोकन कर मध्यस्थ अवार्ड पारित किया जाना न्यायोचित है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी भा.रा.रा.प्रा. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व लिखित बहस में वर्णित तथ्यो की रोशनी में सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित पेड़–पौधो का संरचना अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थी खातेदार की सीमा तक निरस्त कर संशोधित मध्यस्थ अवार्ड पारित कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि चक 9 जैड के खसरा नम्बर 35/1 के किला नम्बर 10, 11, 20 व 21 की अवाप्त भूमि पर स्थित किन्नू के वृक्षों के मध्यस्थ अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को अधिनियम 1956 विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप पारित किया गया है। लेकिन इसमें अवार्ड का मुआवजा राशि बाग वाले लागत के आधार पर काफी कम पारित की गई है। जिसे बढाया जाना न्यायोचित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद धारा 3(सी) के तहत नियमानुसार निस्तारण कर भूमि व उस पर स्थित पेड़ / पौधों / फलों व निर्मित संरचना आदि का अर्जन नहीं किया गया, जिसका सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3डी(1)(2) में वर्णित तथ्य असंगत है जब तक बागवानी के किसानों को उनके द्वारा अत्यधिक व्यय करके लगाये गये फलों वाले वृक्षों की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक भूमि अत्यन्तिक रूप से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित नहीं हो सकती।

उनका आगे यह भी कथन है कि सक्षम प्राधिकारी ने उक्त खसरान की अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण में धारा 3जी(7)(ए) के अनुसार बाजार दर का निर्धारण धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 02.04.2018 को प्रचलित भूमि की दर को उप पंजीयक से प्राप्त करने के बाद उसे उपभोग में लिया गया और ना ही इस भूमि पर कोई कार्य किया।

उनका आगे यह भी कथन है कि धारा 3जी(7)(ए) में प्रयुक्त शब्द के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सभी पेड़–पौधों की किस्मों के आधार पर अन्य स्ट्रक्चर का उनके बाजार मूल्य के आधार पर अलग–अलग तरह से अवार्ड पारित किये गये है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 1956 की धरा 3(बी) की परिभाषा व उसकी वास्तविक मंशा व अर्थ समझकर धारा 3जी(7)(ए) के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति के निर्देशन में सहायक निदेशक उद्यान विभाग श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 18.06.2021 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट का निर्धारण कर दिनांक 2[illegible]2022 को एक उचित व वैद्य अवार्ड पारित किया गया है, लेकिन इस अवार्ड में पारित मुआवजा राशि को संशोधित करके बढ़ाया जाना बागवानी लागत के आधार पर न्योचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि इस प्रकरण में अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जारी करने से पूर्व चक 9 जैड के खसरा नम्बर 35/1 के किला नम्बर 10,11,20,21 पर किन्नू के पौधे/वृक्ष स्थित थे जिसके संबंध में उद्यान विभाग राजस्थान होर्टीकल्चर एंड नर्सरी सोसायटी के राजसंघीय कृषि प्रस्पिधात्माक प्रयोजना अन्तर्गत अनुदानित है, किन्नू के पौधे पर फरटीगेशन भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथा कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर से मंगवायी जा सकती हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि अवाप्त भूमि पर दिनांक 02.04.2018 से लेकर माह अगस्त 2018 तक उक्त अवाप्त भूमि पर गूगल अर्थ (मैप) से ली गई फोटों में किन्नू के पौधे स्थित नहीं होना बताया गया है जिसका मुख्य कारण यह है कि **2 या 3 वर्ष के** किन्नू के पौधे छोटे होने के कारण गूगल मैप में नहीं आते है। इस सम्बन्ध में भा.रा.रा.प्राधिकरण द्वार झूठे व अनुचित आरोप व प्रत्यारोप लगाये गये है, जिसके कारण बागवानी कृषक को मानसिक व सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई गई है। इसलिए कृषक की समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए उसे अवार्ड में पारित मुआवजा राशि के अलावा भी अन्य राशि दिलवाई जावे ताकि आईन्दा से कोई भी ऐसा अवैधानिक व बदनीयती नहीं करेगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिनियम 1956 की धारा 13 की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को उक्त अवाप्त भूमि पर स्थित होने पर ही सक्षम प्राधिकारी ने इस प्रकरण में अपनी देखरेख में कमेटी की मूल्यांकन रिपोर्ट को आधार मानकर दिनांक 22.04.2022 को उचित व वैद्य अवार्ड पारित किया गया है। इस अवार्ड का अवलोकन कर मुआवजा राशि को बढाना उचित होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी की भूमि को अधिगृहित कर लिया गया है जिसके कारण प्रार्थ बागो से प्राप्त होने वाली अपनी उपज भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है और जमीन को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अधिग्रहित कर लिये जाने के कारण अप्रार्थी का जीवनयापन कठिन हो गया है और अप्रार्थी उक्त भूमि पर ही निर्भर था। अप्रार्थी के पास अपने परिवार का भरण पोषण तथा जीवन यापन के लिए कोई साधन या विकल्प नहीं रहा है। इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2022 की मुआवजा राशि व इसके अतिरिक्त बागवानी कृषक की अत्यधिक लागत व बाजार मूल्यों को आधार मानकर व इसका मूल्यांकन करके पारित अवार्ड की मुआवजा राशि को बढा कर दिये जाने की प्रार्थना की है।

मैनें. उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अप्रार्थी जसवीर सिंह की भूमि अवाप्त की गई। राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना पैकेज–06 के 0.000 कि.मी. से 34.500 कि.मी. तक के भूखण्ड (श्रीगंगानगर–रायसिंहनगर सैक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन को बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अवाप्त की गई, जिसमें अप्रार्थी जसवीर सिंह की भूमि चक 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 35 किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 अवाप्त की गई, जिसमें बाग होना दर्शाते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अवार्ड दिनांक 22.04.2022 से कुल 3,77,03,545/–रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया है मुआवजा राशि के समतुल्य ही तोषण(Solatium) राशि 3,77,03,545/–रूपये दिये जाने का प्रावधान होने के कारण, सक्षम प्राधिकारी ने अप्रार्थी को कुल राशि 7,54,07,090/–रूपये का मुआवजा दिया गया है। उक्त अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को राजष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा धारा 3जी(5) अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश करके इस आधार पर चुनौती दी गई है सहायक निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुसार पारित आवार्ड दिनांक 22.04.2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की है और उए नोटिफिकेशन दिनांक 02.04.2018 के स्थिति के अनुसार संशोधित अवार्ड जारी करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

इस मामले में यह देखा जाना है कि क्या अवार्ड दिनांक 22.04.2022 को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि में बाग होना मानते हुए जो मुआवजा राशि 7,54,07,090/—रूपये (मुआवजा+ तोषण राशि) तय की गई है वह विधिसम्मत है अथवा नहीं?

मैनें, अप्रार्थी के मामले में तय की गई मुआवजा राशि के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी की अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को धारा 3ए(1) के तहत अधिसूचना जारी की गई है। धारा 3ए की उपधारा (1) निम्न प्रकार से है:

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

अवाप्त की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य किस प्रकार से तय होगा, इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3जी (7) अवलोकनीय है, जो निम्नप्रकार से है:

> (7) The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--
>
> **(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;**
>
> (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the severing of such land from other land;

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;
>
> (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधिनियम के अन्तर्गत भूमि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :

3(ख) "भूमि के अन्तर्गत भूमि से उत्पन्न फायदे, भूबद्ध चीजें अथवा भूबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकडी हुई चीजें भी है।

इस प्रकार भूमि की परिभाषा में भूमि के अन्तर्गत बाग भी सम्मिलित है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 धारा 3क के तहत जारी किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैः

> **3A. Power to acquire land, etc.**--(1) Where the Central Government is satisfied that for a public purpose any land is required for the building, maintenance, management or operation of a national highway or part thereof, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub-section *(1)* shall give a brief description of the land.
>
> (3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language.

मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा **A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** जारी किया गया है गाइडलाइंस की पेज 118 का पैरा 3.5.5(i) & पेज नं. 120 का पैरा 3.5.6(ii) भी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :

(i) Once MoRTH has notified any land for acquisition for a road project or associated facilities, **the CALA is duty-bound under law to determine the compensation for the subject land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification nder Section 3A f the NH Act, 1956. However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

पेज नं. 120 का पैरा **3.5.6(ii)**

3.5.6 Other factors

(ii) Notwithstanding the above scenarios, it is important to note that any improvement done in or **over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or **take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton . Such development have to be ignored while determining the compensation amount.** It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013. To illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the ordinary earth from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों एवं गाईडलाईन में दिये गये निर्देशों के अनुसार अवाप्त की जानी वाली भूमि / बाग का धारा 3ए की उपधारा (1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जिसका मुआवजा तय किया जाना है वह भूमि / बाग आदि का अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अस्तित्व में होना आवश्यक है।

इस प्रकरण में यह देखना आवश्यक है कि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी जसवीर सिंह की अवाप्त की गई भूमि में कोई बाग अस्तित्व में था, तो उसमें पौधों की स्थिति क्या थी? पर विचार करके ही मुआवजा राशि तय की जानी थी। **उक्त अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद किसी भी भूमि / उस पर किसी प्रकार का निर्माण / पेड पौधें आरोपित किये गये हो तो उसका कोई मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।** अप्रार्थी जसवीर सिंह की जो भूमि अवाप्त की गई है उसमें निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को आधार मानकर अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि में बाग दर्शाते हुए प्रतिवेदन तैयार किया है, जो दिनांक 25.08.2021 को उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की है। उक्त मौक निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को अवाप्त की गई भूमि पर लगभग 4 वर्ष कुल 670 किन्नू के पौधे लगे है जिनमें से 55 पौधे मृत एवं 10 पौधे 03 वर्ष की आयु के पाये गए। इस प्रतिवेदन पर राजस्व पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक उद्यान, Officer Incharge, Deptt of Horticulture, A.R.S., Sri Ganganagar एवं सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के हस्ताक्षर है। जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की गई **भूमि पर गूगल ईमेज के आधार पर कोई बाग [illegible] में कोई पौधे अस्तित्व में नहीं थे इसलिए अप्रार्थी की अवाप्त [illegible] देय नहीं बनता है।**

चूंकि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के [illegible]नुसार कोई मुआवजा राशि देय नहीं बनती है जबकि सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 18.06.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 605 किन्नू के पौधे 4 वर्ष के एवं 10 किन्नू के पौधे 3 वर्ष के और 55 पौधे मृत बताये गये है। इसलिए सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर भी विचार करना आवश्यक है, उक्त प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2021 में उद्यान विभाग की उक्त रिपोर्ट के **अनुसार क्या धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.018 को उक्त बाग अस्तित्व में था या नहीं? अगर था तो दिनांक 02.04.2018 को बाजार मूल्य अनुसार कोई मुआवजा राशि अप्रार्थी को देय होती है अथवा नहीं?**

उद्यान विभाग का उक्त प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2021 का है जिसके अनुसार दिनांक 18.06.2021 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर 605 किन्नू के पौधों की आयु 4 वर्ष, 10 किन्नू के पौधों की आयु 03 वर्ष एवं 55 पौधे मृत बताये गये है। **उक्त पौधों पर मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध मे अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को क्या स्थिति बनती है?, इस तिथि 02.04.2018 पर विचार करने पर उक्त रिपोर्ट को तर्क के लिए एक बार सही मानते हुए विचार किया गया तो पाया कि** 605 किन्नू के पौधे बताये गये है, जो दिनांक 18.06.2021 करे 4 वर्ष के बताये गये है और 10 किन्नू के पौधे दिनांक 18.06.2021 को 3 वर्ष के बताये गये है। इस प्रकार धारा 3ए(1) अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को उक्त 605 किन्नू के पौधे की आयु केवल 10 माह (लगभग 1 वर्ष) की बनती है और 10 किन्नू के पौधे अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 अस्तित्व में होने नहीं पाए जाते है। **इस प्रकार सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर दिनांक 18.06.2021 की स्थिति के अनुसार जो मुआवजा राशि** 3,77,03,545/—रूपये का मुआवजा निर्धारण किया गया है मुआवजा राशि के समतुल्य ही तोषण(Solatium) राशि 3,77,03,545/—रूपये दिये जाने का प्रावधान होने के कारण, कुल 7,54,07,090/—रूपये **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा तय की गई है, वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है और वह किसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्य नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त पौधों का मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देखा जाए तो धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 605 किन्नू के पौधों की आयु 10 माह बनती है, **जो एक वर्ष से कम अवधि के है। तीन वर्ष तक की अवधि के पौधों के लिए आयुक्त उद्यानिकी, उद्यान** आयुक्तालतय, **पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 4162—4247 दिनांक 19.11.2020 के अनुसार — मुआवजा राशि (3 वर्ष की उम्र तक) — पौधों का आधार मुल्य X 3 देय होता है** जो एक वर्ष के किन्नू के पौधे का आधार मूल्य 372/— रूपये है, इस प्रकार एक पौधे की मुआवजा राशि (372X3=)1116/— रूपये बनता है। इस प्रकार धारा 3ए(1)की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को 605 पौधों की मुआवजा राशि (1116X605=) 6,75,180/— रूपये बनती है इसके समतुल्य तोषण (Solatium) राशि 6,75,180/—रूपये दिये जाने का प्रावधान होने के कारण कुल मुआवजा राशि 13,50,360/— रूपये बनती है। इस प्रकार सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर की रिपोर्ट पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 7,54,07,090/—रूपये (मुआवजा+तोषण राशि) बनाई गई है जबकि उद्यान विभाग के प्रतिवेदन में पौधें एवं पौधों की आयु पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार करने पर दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार मुआवजा राशि 13,50,360/— रूपये बनती है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर बाग अस्तित्व मे नहीं होने के कारण कोई मुआवज राशि नहीं बनती है। इस प्रकार मुआवजा राशि में 7,40,56,730/— रूपये अन्तर होने के कारण मान्य नहीं हो सकती।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी द्वारा अपनी लिखित जव... निकी विकास हेतु राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोज... अंकित किया है, किन्तु बाग के अनुदानित होने सम्बन्ध में कोई दस...ज, प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

यह मालूम नहीं होता है कि प्रार्थी का बाग कब से अनुदानित हैं। अप्रार्थी द्वारा 3ए अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व की कोई गिरदावरी पेश नहीं की है जिससे ये स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा बाग स्वीकृत होने के पश्चात कितने समय बाद किन्नू के पौधे रोपित किये गये है। जबकि राजस्थान भू–अभिलेख अधिनियम 1957 के अनुसार प्रत्येक वर्ष समय समय पर गिरदावरी की जाती है। राजस्थान भू–अभिलेख अधिनियम 1957 के रूल्स 58 के अनुसार गिरदावरी हेतु किये जाने वाले दौरे का आरम्भ और उसकी समाप्ति की दिनांक निम्न होगी :

नाम (फसल)	**दिनांक प्रारम्भ होने की**	**दिनांक पूरा होने की**
खरीफ (सियालू)	16 सितम्बर	15 अक्टूबर
रबी (उल्हालू)	1 फरवरी	5 मार्च
जायद (विशेष उन्हालू)	1 मई	15 मई

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी जसवीर सिंह को बाग हेतु अनुदान/सहायता प्राप्त है तो उसे उद्यान विभाग द्वारा कब स्वीकृत किया गया, अप्रार्थी जसवीर सिंह की **अवाप्त की गई भूमि पर किन्नू का बाग बोया जाना कब प्रस्तावित था तथा** अप्रार्थी जसवीर सिंह ने कब **बाग बोया है,** इसके **सम्बन्ध में** कोई **दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अप्रार्थी की अवाप्त की भूमि पर** धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग अस्तित्व में था अथवा नहीं? माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की अधिसूचना 6.10(6)राजस्व/[illegible]/3 दिनाक 02.8.2000 द्वारा सम्बन्धित पटवारी खरीफ गि[illegible] समय बोर्ड के निर्देशानुसार फलदार वृक्षों को भी निरीक्षण करेगा। फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए माननीय मण्डल द्वारा निम्न प्रपत्र निर्धारित है, जिसमें फलदार वृक्षों का पूर्ण विवरण होता है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र—1

फलदार वृक्षों की गिरदावरी वर्ष .....

गांव का नाम ..... गिरदावर वृत .....

तहसील ..... जिला.....

क्रम संख्या	खसरा संख्या	फल का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
			कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(पटवारी द्वारा भरा जावे)

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र 'अ'—1

विभिन्न फलों की प्राथमिक सूचना का ग्रामवार विवरण

पटवार मण्डल ..... भू.अ.नि.वृत ..... तहसील .....

जिला ..... वर्ष .....

क्र.सं.	गांव का नाम	फल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बगीचों की संख्या			वृक्षों की संख्या			बिखरें पेडों की संख्या			विशेष विवरण
				फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	फलदार	शिशु	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र—3

फलदार वृक्षों की गिरदावरी की इकजाई सूचना तहसील .....

जिला श्रीगंगानगर संवत ..... वर्ष 2022—23 (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्रम संख्या	नाम चक	ग्रामों की संख्या			खसरा संख्या			क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)			वृक्षों की संख्या				विशेष विवरण
		जिसमें फलदार वृक्ष है	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है	योग	जिसमें फलदार वृक्ष है।	जिसमें फलदार वृक्ष नहीं है।	योग	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	कृषि भूमि	सरकारी भूमि	शेष	गत वर्ष का उत्पादन (क्विंटल में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

फलदार वृक्षों की गिरदावरी के लिए छोटे व बडों के लिए पूर्ण विवरण सहित उक्त निर्धारित प्रपत्र 1, अ–1 एवं 2 में मुरब्बा नं. 35 के किला नं 1, 10, 11, 20 व 21 में स्थिति क्या है?, अंकित सम्बन्धित गिरदावरियां प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि में बताये गये बाग के सम्बन्ध में लगे पौधों की आयु, नाम, संख्या, किस्म आदि की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। जबकि धारा 3ए(1) की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 की स्थिति के अनुसार ही अगर कोई बाग में पौधे रोपित है तो उनकी आयु आदि के अनुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाता हैं। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार बाग के रूप में कोई मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नही ठहरता है

अतः उक्त विवेचन स्पष्ट है कि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी की भूमि में निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को बाग के रूप में पौधे रोपित किये गये है, की आयु 4 वर्ष बताकर मुआवजा निर्धारण किया गया है जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को कोई बाग था तो उस दिनांक 02.04.2018 को बाग में रोपित पौधों की संख्या, पौधों की आयु, किस्म के आधार पर ही मुआवजा राशि तय की जानी थी जबकि सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगंगानगर ने निरीक्षण दिनांक 18.06.2021 को आधार मानकर सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मुआवजा राशि 7,54,07,090/–रूपये (मुआवजा+तोषण राशि) अवार्ड के रूप में तय की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि यह राशि धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के आधार पर नहीं है। इस प्रकार समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड दिनांक 22.04.2022 [illegible]क प्रावधानों के पूर्ण रूप से विपरीत जारी किया गया है जो किसी भी [illegible]र से बहाल करने योग्य नहीं है। अतः सक्षम प्राधिकारी के अवार्ड दिनांक [illegible]04.2022 से तय मुआवाज राशि,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी जसवीर सिंह की हद तक खारिज किया जाता है। सक्षम प्रधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को अप्रार्थी की भूमि पर कोई बाग था अथवा नहीं?, की जांच करें और यदि दिनांक 02.04.2018 को बाग अस्तित्व में था, तो पौधों की संख्या, पौधों की आयु एवं दिनांक 02.04.2018 को ही बाजार मूल्य क्या था, के अनुसार पक्षकारों से नये सिरे से साक्ष्य प्राप्त कर एवं पुनः सुनवाई कर, 02 माह में अवार्ड जारी करें। आदेश की प्रति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:44:55 IST
Reason: SelfAttested